भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1890
06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में आयुष्मान वय वंदना कार्डों का जारी किया जाना

1890. श्री एम. के. राघवन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में आयुष्मान वय वंदना कार्डों के जारी किए जाने में किसी विलंब की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने केरल में उक्त कार्डों के जारी किए जाने में हो रहे विलंब को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लाभार्थियों को इस शुरू नहीं हुई योजना को अपनाने के कारण अन्य बीमा योजनाओं से हाथ धोना पड़ रहा है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारत सरकार ने दिनांक 29.10.2024 को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का विस्तार किया है।

इस योजना को केरल राज्य सहित पूरे देश में शुरू किया गया था। दिनांक 02.12.2024 तक केरल राज्य में कुल 3.87 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए जा चुके हैं। केरल राज्य में आयुष्मान वय वंदना कार्ड का उपयोग करके कुल 403 लाभार्थियों ने 55.48 लाख रुपये का उपचार कराया है।

(घ) और (ङ): यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थी सरकार द्वारा वित्तपोषित केवल एक योजना के तहत लाभ का दावा करें, दो स्तर के सत्यापन लागू किए गए हैं। सबसे पहले, लाभार्थियों को यह घोषित करना होगा कि वे भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तपोषित किसी अन्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। दूसरा, यदि लाभार्थी सूचित करता है कि वे किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं, तो उनके पास या तो अपनी वर्तमान योजना कवरेज को बनाए रखने या एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभ प्राप्त करने का विकल्प होता है। यह विकल्प एकबारगी और अंतिम होता है।

हालांकि, निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवरेज वरिष्ठ नागरिकों के लिए एबी-पीएमजेएवाई योजना का लाभ उठाने में बाधा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभार्थी भी इस योजना के तहत पात्र बने रहेंगे।

*****